उत्तर प्रदेश पी.ए.सी. मुख्यालय, महानगर, लखनऊ—2260(

फोन +91-522-2337452 सीयूजी +91-9454400122 ईमेल pac@uppac.net वेब uppolice.up.nic.in

पत्र संख्याः पीएसी–चार– निर्देश/2013

दि0 18 अक्टूबर 2013

स्थाई आदेश संख्या : 10/2013

विषय : कार्यालयों में कर्मचारियों की सम्बद्धता के संबंध में निर्देश/समीक्षा।

समय–समय पर दलनायक, गुल्मनायक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी कार्यालयों से सम्बद्ध किये जाते हैं। आप सहम होंगे कि जनहित में यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक कर्मी फील्ड ड्यूटी के लिये उपलब्ध रहें। इस लक्ष्य को देखते हु निम्न सिद्धान्तों का पालन कृपया सुनिश्चित करें:–

(1) कार्यालयों में लिपिकीय वर्ग के अतिरिक्त कम से कम कर्मी लगाये जायें।

(2) यदि अपरिहार्य हो तो ऐसे कर्मी लगाये जायें जो 45 वर्ष से ऊपर के हों अथवा जिनके लिये चिकित्सीय कारणों से Active field duty करना चुनौती हो।

(3) यदि किन्ही कारणों से लिपिकीय कार्य में सहयोग के लिये 45 वर्ष से कम उम्र के कर्मी लगाये जाते हैं, तो मात्र ऐसे ही कर्मी लगाये जायें जो :–

(i) कम्प्यूटर में M.S.World, M.S.Excel, M.S.Power Point का ज्ञान रखते हों।

(ii) Internet पर Serch और e-mail का ज्ञान रखते हों।

2– यह आदेश वाहिनी, सेक्टर, जोन तथा मुख्यालय स्तर पर लागू होगें। पीएसी मुख्यालय एवं पुलिस महानिरीक्षक पीएसी जोन अपने–अपने जोन में अनुपालन सुनिश्चित करें और दि0 15–12–2013 तक अपनी टिप्पणी तथा कृत कार्यवाही के साथ निम्न प्रोफार्मा में रिर्पोट दें। सेनानायक अपनी रिपोर्ट दि0 3–12–2013 तक अनुभाग स्तर पर भेजें और पुलिस उप महानिरीक्षक अपनी रिपोर्ट के साथ दि0 5–12–2013 तक जोनल पुलिस महानिरीक्षक को भेजें, जिससे पुलिस महानिरीक्षक जोन को कार्यवाही सम्पन्न कराकर रिपोर्ट भेजने के लिये पर्याप्त समय रहे।

कार्यालय का नाम	दि0 1.10.13 को सम्बद्ध सीसी/पीसी/एचसी/कांस्टेबिल	दि0 1.12.13 को सम्बद्ध सीसी/पीसी/एचसी/कांस्टेबिल

(रंजन द्विवेदी) 18
पुलिस महानिदेशक पीएसी,
उ0प्र0,लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन,,उ0प्र0।
2. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग,उ0प्र0।
3. समस्त सेनानायक, पीएसी, उ0प्र0।
4. समस्त राजपत्रित अधिकारी/अनुभाग अधिकारी /दलनायक (नियन्त्रण कक्ष)/(मुख्यालय),पीएसी मुख्यालय।